

विधान परिषद के तृतीय सत्र-2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
12 (क)- क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05.10.2023 निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश जो रोक़ी गई वृद्धावस्था पेंशन को पुनः उनके खाते में भेजे जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो क्या रोक़ी गई वृद्धावस्था पेंशन उनके खातों में भेज दी गई है?	श्रीमती किशोरी देवी के वृद्धावस्था पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या-31612053002 के आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी द्वारा पूर्ण कर पी0एफ0एम0एस0 से रिस्पांस प्राप्त होने के उपरान्त रिवेरीफाई कर दिया गया है। श्रीमती किशोरी देवी को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान किये जाने हेतु राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी से मांग जनरेट कराकर पेंशन प्रेषण की कार्यवाही की जा रही है।
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	उपरोक्तानुसार।
(घ) उक्त रोक़ी गई वृद्धावस्था पेंशन कब तक उनके खातों में भेज दी जायेगी?	उपरोक्तानुसार।

**असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**